



न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़. (राज.)

पीठीसीन अधिकारी

अनुपमा जोरवाल I.A.S.
जिला कलक्टर, प्रतापगढ़

प्रकरण संख्या	GCMS.No.	दर्ज दिनांक	फैसल दिनांक
04/2018	2018/00097	28.06.2018	26.02.2021

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, प्रतापगढ़

:- प्रार्थी

:- बनाम :-

श्री रितिक पिता गोपाल राठौर, भारत भोजनालय गांधी चौराहा प्रतापगढ़

:- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. पैरोकार सरकार रसद
2. अप्रार्थी स्वयं

:- आदेश :-

दिनांक 26.02.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पैरोकार सरकार रसद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 07.04.2018 को दोपहर 12.50 बजे घरेलु गैस सिलेण्डर्स के व्यावसायिक उपयोग की जांच हेतु राज्य सरकार के सुरक्षा पखवाडा मनाये जाने के लिखित आदेश दिनांक एफ 17/(2)/खा.वि./न्याय/2000 दिनांक 26.03.2018 की पालना में श्री सुखाराम जिला रसद अधिकारी प्रतापगढ़, श्री राजकुमार बामणिया, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री जसपाल आंजना प्रतापगढ़ इण्डेन गैस ऐजेन्सी श्री बलवन्त सिंह प्रतापगढ़ इण्डेन गैस ऐजेन्सी हमराह के गांधी चौराहा पर स्थित भारत भोजनालय की जांच करने पहुंचे। मौके पर श्री रितिक पिता गोपाल राठौर उपस्थित मिले। व्यावसायिक परिसर की जांच पर दुकान पर घरेलु गैस सिलेण्डर के काजगात जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। घरेलु गैस का संग्रहण व्यावसायिक परिसर में किए जाने से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3(1) का उल्लंघन पाये जाने से एक सिलेण्डर मौके पर सीज कर श्री जसपाल आंजना प्रतापगढ़ गैस ऐजेन्सी को सुपुर्दगी में सम्मलवाया गया। खुर्द-बुर्द नहीं करने पाबंद किया गया निरीक्षण पर्चा मौका व फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनाम मौके पर तैयार किया जो संलग्न है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में जब्त सिलेण्डर राजसात करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण एवं बिक्री किये जाने पर मौके पर प्रतापगढ़ कार्यकर्ता प्रतापगढ़ गैस सर्विस द्वारा ईलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौल करवाने पर निम्न स्थिति पायी गई :-

क्र.सं.	कम्पनी	S.R.No	मानक भार किग्रा	कुल वजन किग्रा	टेयर वजन किग्रा	शुद्ध LPG किग्रा
1	IOC	77215	29.7	15.7	27.5	2.2

जिला कलक्टर
(राज.)

324

इस प्रकार घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध रूप से व्यवसायिक उपयोग पाया गया। जब्त सिलेण्डर को कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु जसपाल पुत्र श्री बद्रीलाल आंजना मालिक मैसर्स प्रतापगढ़ गैस सर्विस, प्रतापगढ़ को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द किया गया। व निवेदन किया कि जब्तशुदा 01 सिलेण्डर (14.2 कि.ग्रा) को राजसात (confiscate) करने के आदेश प्रदान करावें। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को सूचना पत्र जारी किये गये जिनकी बाद तामील रिपोर्ट अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हो जवाब एवं बहस हेतु अवसर चाहा गया न्यायहित में अवसर प्रदायगी उपरान्त अप्रार्थी द्वारा प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.02.2021 को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया नकल प्रार्थी परोकार सरकार को उपलब्ध कराई गई तथा प्रकरण में बहस अन्तिम उभय पक्ष अन्तिम सूनी गई।

दौराने बहस प्रार्थी परोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किये कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/फर्म किसी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर्स का उपयोग उपभोग व्यवसायिक प्रयोनार्थ नहीं कर सकता है क्योंकि व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग हेतु पृथक से व्यवसायिक गैस सिलेण्डर उपलब्ध बाजार रहते है तथा प्रश्नगत प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यवसायिक प्रयोजन में लाते हुए सरकार की गाईड लाईन अनुसार घर का रसोई घर ही उपयुक्त स्थान नियत है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैध रूप से संकलित 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात अनुमती प्रदान कराया जाना उचित रहेगा।


इसी प्रक्रम में दौराने बहस अप्रार्थी स्वयं द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के व्यावसायिक गैस सिलेण्डर खत्म हो जाने के कारण मेरे घर का घरेलु कनेक्शन का सिलेण्डर लगाकर मैं प्रार्थी व्यवसायिक सिलेण्डर लेने गया था जिसके कारण प्रार्थी की दुकान के घरेलु सिलेण्डर लगा हुआ था एवं भविष्य में घरेलु सिलेण्डर का उपयोग नहीं करूंगा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज फरमावें।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन कि रोशनी में ज्ञात आया कि रसद विभाग के अधिकारी/कार्मिकों द्वारा दिनांक 07.04.2018 के दौरान वक्त मौका निरीक्षण एवं बाद जांच कार्यवाही तथा मौका पर्चा रिपोर्ट तथा निरीक्षण प्रतिवेदन एवं फर्द जब्ती 01 घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग में लाया जाना प्रतीत होता है तथा उक्त समस्त गैस सिलेण्डर तथा अन्य सामग्री के व्यवसायिक प्रतिष्ठान से अप्रार्थी की उपस्थिति में जब्ती अनुसार उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग होना दर्शित रिकार्ड पाया है इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थी को कोई अनुतोष प्रदान किया जा सके। प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत समुचित कार्यवाही योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी परोकार सरकार रसद स्वीकार किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी, प्रतापगढ़ को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 07.04.2018 को अप्रार्थी के यहाँ से फर्द जब्ती में वर्णित समस्त सामग्री एवं 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को अन्तिम रूप से राजसात किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(अनुपमा जोरवाल)
जिला कलेक्टर
प्रतापगढ़